बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक – 9.2.2017

सं0–16/यू.1–02/2011 –152 (आ0चि0) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, स्वास्थ्य विभाग के अधीन आयुष शिक्षण सेवा में नियुक्ति एवं सेवाशर्तों के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं । –

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।– (1) यह नियमावली "बिहार आयुष (आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथी) चिकित्सा शिक्षण सेवा नियमावली, 2017" कही जा सकेगी ।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
   (3) यह तुरत प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषायें ।– जब तक विषय या सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:–
   (i) 'सरकार' से अभिप्रेत है बिहार सरकार;
   (ii) 'विभाग' से अभिप्रेत है स्वास्थ्य विभाग;
   (iii) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग;
   (iv) 'सी0सी0आई0एम0' [Central Council of Indian Medicine (C.C.I.M.)] से अभिप्रेत है भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्;
   (v) 'सी0सी0एच0' [Central Council of Homeopathy (C.C.H.)] से अभिप्रेत है केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद्;
   (vi) 'चिकित्सा महाविद्यालय' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा स्थापित/संचालित आयुर्वेदिक/यूनानी/ होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल ;
   (vii) 'बी0ए0एम0एस0' [Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery (B.A.M.S)] से अभिप्रेत है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसीन एण्ड सर्जरी, जो सी0सी0आई0एम0 द्वारा मान्यता प्राप्त हो;
   (viii) 'बी0यू0एम0एस0' [Bachelor of Unani Medicine and Surgery (B.U.M.S)]से अभिप्रेत है बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसीन एण्ड सर्जरी, जो सी0सी0आई0एम0 द्वारा मान्यता प्राप्त हो;
   (ix) 'बी0एच0एम0एस0' [Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S.)] से अभिप्रेत है बैचलर ऑफ होमियोपैथी मेडिसीन एण्ड सर्जरी, जो केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त हो;

(x) एम0डी0/एम0एस0 से अभिप्रेत है "आयुर्वेदिक/यूनानी/होमियोपैथिक चिकित्सा पद्धति से संबंधित 'स्नातकोत्तर उपाधि' (डिग्री)" जो सी0सी0आई0एम0/सी0सी0एच0 द्वारा मान्यता प्राप्त हो;

(xi) 'उच्चतर उपाधि' (डिग्री) से अभिप्रेत है स्नातकोत्तर उपाधि (डिग्री) के अतिरिक्त प्राप्त की गयी कोई अन्य उच्चतर उपाधि (डिग्री)" जो सी0सी0आई0एम0/सी0सी0एच0 से मान्यता प्राप्त हो;

(xii) 'परिशिष्ट' से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न परिशिष्ट;

(xiii) 'निदेशालय' से अभिप्रेत है आयुष निदेशालय;

(xiv) 'बी0सी0ई0सी0ई0 बोर्ड' से अभिप्रेत है बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

(xv) 'सेवा' से अभिप्रेत है बिहार आयुष चिकित्सा शिक्षण सेवा;

3. **सेवा का गठन** ।– (1) "बिहार आयुष (आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथी) चिकित्सा शिक्षण सेवा" राज्य स्तरीय होगी और इसमें निम्नलिखित तीन संवर्ग होंगे :–

(क) आयुर्वेदिक चिकित्सा शिक्षण संवर्ग,

(ख) यूनानी चिकित्सा शिक्षण संवर्ग, तथा

(ग) होमियोपैथी चिकित्सा शिक्षण संवर्ग।

(2) स्वास्थ्य विभाग के आयुर्वेदिक/यूनानी/होमियोपैथी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं निदेशालय के निम्नलिखित पद आयुष चिकित्सा शिक्षण सेवा में शामिल होंगे :–

(क) सहायक प्राध्यापक (व्याख्याता)

(ख) सह प्राध्यापक (प्रवाचक)

(ग) प्राध्यापक

(घ) प्राचार्य

(ङ) सरकार द्वारा समय–समय पर, अधिसूचना के द्वारा, सम्मिलित किए जानेवाले कोई अन्य पद

(च) निदेशालय के वैसे पद जो आयुष चिकित्सा शिक्षण सेवा से भरे जायेंगे :–

(i) (क) उप निदेशक (आयुर्वेदिक चिकित्सा शिक्षा)

(ख) उप निदेशक (यूनानी चिकित्सा शिक्षा)

(ग) उप निदेशक (होमियोपैथी चिकित्सा शिक्षा)

(ii) अपर निदेशक–सह–परीक्षा नियंत्रक (आयुष चिकित्सा शिक्षा)

(iii) निदेशक (आयुष चिकित्सा शिक्षा)

(3) उप–नियम (2) में वर्णित पद, जिन्हें इस नवगठित सेवा में शामिल किया गया है, को सी0सी0आई0एम0 / सी0सी0एच0 द्वारा विनिश्चित मानदण्ड को ध्यान में रखते हुए पुनर्गठित किया जा सकेगा।

4. **बिहार आयुष चिकित्सा शिक्षण सेवा में नियुक्ति** ।– (1) सहायक प्राध्यापक की कोटि इस सेवा की मूल कोटि होगी और सेवा में नियमित प्रवेश सहायक प्राध्यापक के पद पर, सरकार द्वारा समय–समय पर विनिश्चित शर्तों एवं मानदंडों के अधीन, होगा। सरकार, इस नियमावली के परिशिष्ट–1 के अनुरूप, आयोग द्वारा तैयार किये गये पैनेल से, नियुक्ति की कार्रवाई करेगी।

(2) आयोग द्वारा विनिश्चित समय–सीमा के आलोक में तैयार किये गये पैनेल एवं पैनेल की वैधता के आलोक में रिक्तियों को भरने हेतु सरकार इस नियमावली के परिशिष्ट– 1 के प्रावधानों का सख्ती से पालन करेगी।

(3) **पात्रता** – (i) आवश्यक अर्हता।– **सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक अर्हता विषय–विशेष में स्नातकोत्तर उपाधि, जो सी0सी0आई0एम0 / सी0सी0एच0 द्वारा मान्यता प्राप्त हो, होगी**

परन्तु आयुर्वेदिक / यूनानी कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु सी0सी0आई0एम0 द्वारा अधिसूचित आवश्यक विषय विशेष के समकक्ष सम्वर्गी विषय में स्नातकोत्तर अर्हताधारी भी आवेदन के पात्र होंगे।

परन्तु और कि होमियोपैथिक कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु निम्नलिखित विषयों में न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता निम्नरूपेण होगी:–

(क) विषय– ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, होमियोपैथिक मटेरिया मेडिका, होमियोपैथिक फार्मेसी, रिपर्टरी– संबंधित विषय में एम0डी0 (होमियोपैथिक) योग्यता जो केंद्रीय होमियोपैथिक परिषद से मान्यता प्राप्त हो, अनिवार्य होगा।

(ख) विषय– एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फोरेन्सिक मेडिसिन एवं टॉक्सीकोलॉजी, सर्जरी, ऑब्स एवं गायनोक्लॉजी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एवं कम्युनिटी मेडिसिन– मात्र एम0डी0 (होमियोपैथिक) योग्यता होगा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम0बी0बी0एस0 डिग्री एवं संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, जो "मेडिकल कॉउसिल ऑफ इंडिया" से मान्यता प्राप्त हो।

(ग) **अधिमान्य योग्यता**– होमियोपैथिक कॉलेज से संलग्न अस्पताल, जो केन्द्रीय होमियोपैथिक परिषद / केन्द्र सरकार से अनुमति प्राप्त हो, में आर0एम0ओ0 एवं / या हाउस फिजिशियन के रूप में कार्य करने का अनुभव।

(ii) सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम उम्र सीमा 27 वर्ष और अधिकतम उम्र–सीमा अनारक्षित वर्ग के लिए 45 वर्ष, पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के लिए 48 वर्ष, महिला (अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग) के लिए 48 वर्ष तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 50 वर्ष होगी। बिहार राज्य आयुष चिकित्सा सेवा में कार्यरत चिकित्सक के लिए अधिकतम उम्र सीमा 50 वर्ष होगी।

5. **परिवीक्षा अवधि** ।– नियुक्ति के पश्चात् सहायक प्राध्यापक परिवीक्षाधीन रहेंगे। परिवीक्षा अवधि दो वर्षों की होगी जिसे लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। एक वर्ष की अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर संबंधित परिवीक्षाधीन को सेवामुक्त किया जा सकेगा।

परिवीक्षा अवधि के दौरान सहायक प्राध्यापक के लिए कोषागार प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

6. **सम्पुष्टि** ।– परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक रहने तथा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने एवं कोषागार प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के उपरांत सहायक प्राध्यापक की सेवा सम्पुष्ट की जा सकेगी। विभागीय परीक्षा केन्द्रीय परीक्षा समिति (राजस्व पर्षद) द्वारा ली जायेगी।

7. **प्रोन्नति** ।– सहायक प्राध्यापक से सह प्राध्यापक के पद पर नियमित प्रोन्नति के लिए सहायक प्राध्यापक के पद पर न्यूनतम 5 (पाँच) वर्षों का शैक्षणिक अनुभव आवश्यक होगा। सह–प्राध्यापक के पद से प्राध्यापक के पद पर नियमित प्रोन्नति के लिए सह–प्राध्यापक के पद पर 5 वर्षों का शैक्षणिक अनुभव अर्थात न्यूनतम 10 (दस) वर्षों का शैक्षणिक अनुभव आवश्यक होगा। नियमित प्रोन्नतियाँ, रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए वरीयता सह मेधा के सिद्धांत के आधार पर संबंधित विषय में शैक्षणिक अनुभव एवं अन्य आवश्यक अर्हताओं आदि के आधार पर सी0सी0आई0एम0/सी0सी0एच0 के बाध्यकारी नियमों के अनुसार प्रदान की जायेगी। प्रोन्नति के सभी पदो के लिए स्नातकोत्तर डिग्री एक अनिवार्य अर्हता होगी एवं नियम 2(xi) में वर्णित "उच्चतर उपाधि" धारकों को प्राथमिक दी जायेगी।

8. (1) तत्काल अनिवार्यता अथवा नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु पात्र चिकित्सक शिक्षकों की अनुपलब्धता की स्थिति में, सरकार, सह–प्राध्यापक एवं प्राध्यापक के पदों पर बाह्य श्रोतों से, आयोग की अनुशंसा से, कुल सृजित पदों के 33% की सीमा तक, सीधी नियुक्ति कर सकेगी। सरकार को कार्यबल की उपलब्धता/कमी को देखते हुए इस सीमा को घटाने/बढाने की शक्ति होगी। बाह्य श्रोतों से सह–प्राध्यापक एवं प्राध्यापक के पद के लिए अर्हता सी0सी0आई0एम0/सी0सी0एच0 के मानदंडों के अनुरूप होगी। इस नियुक्ति में सरकारी क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षण के कार्य अनुभव को अधिमानता दी जायेगी।

(2) उक्त प्रावधान के होते हुये भी, विशेष अनिवार्यता की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विहित प्रावधान (समय–समय पर यथासंशोधित) के अनुसार सरकार द्वारा संविदा के आधार पर उक्त पदों पर सीमित अवधि के लिए बाह्य श्रोतों से नियुक्ति की जा सकेगी। आवश्यकतानुसार इसके लिए सरकार आवश्यक प्रक्रिया को भी विनिश्चित कर सकेंगी।

(3) इस नियमावली के निर्गत होने की तिथि के पूर्व तक देशी चिकित्सा प्रक्षेत्र के गैर शैक्षणिक सम्वर्ग से शैक्षणिक सम्वर्ग में नियमानुसार समायोजित एवं कार्यरत वैसे शैक्षणिक पदाधिकारी जो इस पद के लिए निर्धारित योग्यता एवं अन्य अर्हताएँ पूरी करते हों, स्वतः इस सम्वर्ग में सम्मिलित समझे जायेंगे।

9. <u>प्राचार्य</u> ।– इस पद पर नियुक्ति प्राध्यापकों के बीच से, उनकी प्राध्यापक के पद की वरीयता एवं मेधा के आधार पर, विहित प्रकिया के अनुसार, की जायेगी। प्राचार्य का चिकित्सा महाविद्यालय पर समग्र नियंत्रण रहेगा, जिसके लिए विभाग, समय–समय पर, सम्यक् निदेश जारी कर सकेगा।

10. <u>उप निदेशक</u> ।– प्राचार्य एवं उपनिदेशक के पद एक ही वेतनमान/ग्रेड–पे के पद होंगे। उप निदेशक के पद पर नियुक्ति/ प्रोन्नति प्राध्यापकों के बीच से उनकी प्राध्यापक के पद की वरीयता के आधार पर की जायेगी।

11. <u>निदेशक/अपर निदेशक–सह–परीक्षा नियंत्रक</u> ।– इस पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति प्राचार्य/उप निदेशक/प्राध्यापक के बीच से वरीयता के आधार पर की जायेगी।

12. सरकार में तत्समय प्रवृत प्रोन्नति सम्बन्धी अन्य नियम/अनुदेश इस सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे।

13. <u>विभागीय प्रोन्नति समिति</u> ।– (1) उच्चतर पदों पर नियमित प्रोन्नतियाँ विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर विचारणीय होंगी। विभागीय प्रोन्नति समिति का स्वरूप वैसा ही होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर, विहित किया जाय ;

(2) इन शैक्षणिक पदों पर प्रोन्नति के लिए, सामान्य आवश्यकता के अतिरिक्त सी0सी0आई0एम0/सी0सी0एच0 द्वारा विनिश्चित मार्गदर्शन एवं सरकार द्वारा, समय–समय पर, यथानिदेशित के अनुसार शैक्षणिक कार्य की प्रामाणिकता आवश्यक होगी।

14. <u>आरक्षण</u> ।– सरकार के आरक्षण अधिनियम और समय–समय पर सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति हेतु निर्गत आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

15. (1) नियम–3 में उल्लिखित पदों पर, इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व/पहले से नियुक्त/प्रोन्नत एवं कार्यरत चिकित्सक शिक्षक इस सेवा में स्वतः शामिल समझे जायेंगे। इस नियमावली के प्रवृत होने

के पूर्व व्याख्याता, प्रवाचक एवं प्राध्यापक के पद पर पहले से नियुक्त/प्रोन्नत एवं कार्यरत चिकित्सक शिक्षक क्रमशः सहायक प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक एवं प्राध्यापक पदनाम से जाने जायेंगे।

(2) पूर्व से नियुक्त/प्रोन्नत एवं कार्यरत ऐसे चिकित्सक शिक्षक, जिन्हें इस नियमावली में विहित अर्हता प्राप्त नहीं है, अपने द्वारा धारित पद पर बने रहेंगे, किन्तु उन्हें उक्त अर्हता आधारित पदों पर कोई प्रोन्नति अनुमान्य नहीं होगी।

16. **वरीयता** ।– सहायक प्राध्यापकों की पारस्परिक वरीयता स्पेशियलिटी विषयों के अनुसार अलग–अलग संधारित की जायेगी। वैसे प्रोन्नत प्राध्यापक, जो संबंधित विषय में एक ही तिथि को प्रोन्नत हुए हैं, की आपसी वरीयता सह–प्राध्यापक के पद की वरीयता के आधार पर विनिश्चित की जायेगी एवं उसी प्रकार सह–प्राध्यापकों की आपसी वरीयता सहायक प्राध्यापक के पद की वरीयता के आधार पर विनिश्चित की जायेगी। पारस्परिक वरीयता का अवधारण शैक्षणिक अनुभव की अवधि पर आधारित होगा। सहायक प्राध्यापक के पद पर आपसी वरीयता का अवधारण, व्याख्याता, प्रदर्शक या अन्य शैक्षणिक पद पर अनुभव की गणना/आयोग द्वारा तैयार की गयी मेधासूची के अनुसार किया जायेगा।

17. **अवशिष्ट मामले** ।– इस नियमावली में जिन विषयों का प्रावधान नहीं हो सका है, उनके लिए सरकार के समुचित स्तर के कर्मचारी/पदाधिकारी के लिए विनिर्धारित संहिता/नियमावली/संकल्प/अनुदेश के प्रावधान लागू होंगे।

18. **निर्वचन** ।– यदि इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो तो विभाग को निर्देशित किया जायेगा और इस संबंध में विधि विभाग के परामर्श से किया गया विभाग का विनिश्चय अन्तिम होगा।

19. **कठिनाई का निराकरण** ।– यदि इस नियमावली के उपबंधों के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो विभाग ऐसी किसी कठिनाई का निराकरण वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग एवं विधि विभाग के परामर्श के पश्चात् विशेष अथवा सामान्य आदेश द्वारा, जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो, कर सकेगा।

20. **निरसन एवं व्यावृत्ति** ।– (1) इस सेवा के संबंध में, विभाग द्वारा पूर्व में, समय–समय पर निर्गत संकल्प, आदेश, अनुदेश आदि एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, ऐसे संकल्प, आदेश, अनुदेश आदि के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी, जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य किया गया था या ऐसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

परिशिष्ट–1

आयुर्वेदिक/यूनानी/होमियोपैथी चिकित्सा महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति का मानदंड

1. सहायक प्राध्यापक का पद प्रथम स्थायी शैक्षणिक पद है, अतः इस हेतु चयन सावधानीपूर्वक किया जाना है।

2. **अनिवार्य योग्यता**– (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0ए0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0/बी0एच0एम0एस0 डिग्री जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद/केन्द्रीय होमियोपैथिक परिषद, नई दिल्ली के अनुसूची में सम्मिलित हो।

(ख) संबंधित/सम्वर्गी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि योग्यता हो जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद/केन्द्रीय होमियोपैथिक परिषद, नई दिल्ली के अनुसूची में सम्मिलित हो किंतु होमियोपैथिक कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु होमियोपैथी कॉलेज से संलग्न अस्पताल, जो केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद्/केन्द्र सरकार से अनुमति प्राप्त हो, में आर0एम0ओ0 एवं/या हाउस फिजिशियन के रूप में कार्यानुभव प्राप्त अभ्यर्थी को अधिमानता दी जायेगी।

नोटः–1. होमियोपैथिक कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति निम्नांकित विषयों में निम्नरूपेण होगीः–

(क) विषय– ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, होमियोपैथिक मटेरिया मेडिका, होमियोपैथिक फार्मेसी, रिपर्टरी– संबंधित विषय में एम0डी0 (होमियोपैथिक) योग्यता जो केंद्रीय होमियोपैथिक परिषद से मान्यता प्राप्त हो, अनिवार्य होगा।

(ख) विषय– एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फोरेन्सिक मेडिसिन एवं टॉक्सीकोलॉजी, सर्जरी, ऑब्स एवं गायनोक्लॉजी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एवं कम्युनिटी मेडिसिन– एम0डी0 (होमियोपैथिक) योग्यता होगा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम0बी0बी0एस0 डिग्री जो मेडिकल कॉउसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हो एवं संबंधित विषय में स्नातकोत्तर चिकित्सीय योग्यता, जो मेडिकल कॉउसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हो।

3. अभ्यर्थियों की तुलनात्मक मेधा के अवधारणार्थ अंकों का निम्नरूपेण मूल्यांकन किया जायेगाः–

(क) बी0ए0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0/बी0एच0एम0एस0/एम0बी0बी0एस0 के विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं में प्राप्तांक का कुल योगः–

75% एवं उससे ऊपर	70 % एवं उससे ऊपर	65 % एवं उससे ऊपर	60 % एवं उससे ऊपर	55 % एवं उससे ऊपर	50 % एवं उससे ऊपर
20	19	18	17	16	15

(ख) आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथी में स्नातकोत्तर उपाधि के लिए– 10 अंक

(ग) सरकारी शैक्षणिक क्षेत्र में संविदा नियुक्ति के आलोक में कार्यानुभव (प्रति वर्ष 2 अंक, अधिकतम 10 अंक)– 10 अंक

(घ) साक्षात्कार – 06 अंक

(ड़) मान्यता प्राप्त जर्नल्स में मुख्य लेखक के रूप में मूल प्रकाशन के लिए (किसी अभ्यर्थी को किसी प्रकाशन का मूल लेखक तभी माना जाये, जब वह विषय के प्रभारी प्राध्यापक/विभागाध्यक्ष/गाईड, जिसके अधीन उसने पेपर तैयार किया हो, इस आशय का प्रमाण पत्र दें।) 04 अंक (प्रत्येक प्रकाशन के लिए 02 अंक)

कुल– 50 अंक

(च) किसी अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से समान डिग्री के दुहराव के लिए कोई अतिरिक्त अंक नहीं दिया जायेगा।

(छ) साक्षात्कार में अलग से उत्तीर्णांक प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

4. सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के हेतु किसी अभ्यर्थी को न्यूनतम 25 (पच्चीस) अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(सच्चिदानंद चौधरी)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को सी0डी0 के साथ बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– उप सचिव (मुद्रणालय शाखा), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 के साथ बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–   पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त बिहार/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार/~~माननीय~~ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार/मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव, बिहार एवं विभाग के सभी विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 152(आ० चि०)   पटना, दिनांक– 9.2.2017

प्रतिलिपि– प्राधिकृत पदाधिकारी, आयुष निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, होमियोपैथिक के आशुलिपिक/उप निदेशक (आयुर्वेद)/अधीक्षक राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल, पटना/सभी प्राचार्य, आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/सभी क्षेत्रीय, उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/सभी जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार/सभी सिविल सर्जन, बिहार/प्रबंधक, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषध निर्माणशाला, पटना/उपाधीक्षक, दस शय्यायुक्त राजकीय होमियोपैथिक अस्पताल, पटना/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/2/17
सरकार के अपर सचिव